

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 705/2022

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. हुकमाराम पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजबाला पत्नी सुलतान सिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गन्धेली तहसील रावतसर।।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता प्रतिवादी
निर्णय दिनांक: 29/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स० 37/38 की कुल 1.7460 हैक्ट भूमि में से वादी सं० 1 ता 2 व प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/3 व रोही मौजा बिरकाली बरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स० 630/578 की कुल 6.3100 हैक्ट भूमि में से वादी सं० 2 व प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा व वादी का 12739/47325 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 का 1012/15775 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है तथा उक्त भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादीगण व प्रतिवादीगण में खाता व लगान, सीव आदि का हमेशा तनाजात बना रहताह तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग अलग करवा लेवे तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स० 37/38 की कुल 1.7460 हैक्ट भूमि हैक्टर भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावें।


Rahul
अधीनस्थ अधिकारी
नोहर
Page 1 of 2

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स० 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री कुलदी खुडिया ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी स० 2 ने वादी स० 1 से क़य की थी कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स० 37/38 की कुल 1.7460 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. राजबाला पत्नी सुल्तान सिंह जाति जाट सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली- प०न० 137/43(529) के किला न० 20/1 की 0.227 हैक्ट, 21/2 की 0.1778 हैक्ट कुल 0.4048 हैक्ट
2. अमरसिंह, हुकमाराम पि० भानीराम बहिब 2/3 हि०, हनुमान पुत्र भानीराम 16992/59052 हि० जाति जाट सा० देह खातेदार रहन बदस्तुर- प०न० 137/35(528) के किला न० 16 ता 20/2 व 22 ता 25 की 2.036 हैक्ट, 137/36(558) के किला न० 2 ता 9, 12/1 ता 15, 18 की 2.999 हैक्ट रा०- 0.050 हैक्ट, 137/43(529) के किला न० 21/2 की 0.492 हैक्ट, 137/44(557) के किला न० 1/1, 2/2, 9, 10/2 की 0.759 हैक्ट रा०-0.012 कुल 5.9052 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 705/2022

अनवान : -

1. हनुमान पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. हुकमाराम पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजबाला पत्नी सुलतान सिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक, मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गन्धेली तहसील रावतसर।।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 705 सन 2022 निर्णय दिनांक 29/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स० 37/38 की कुल 1.7460 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. राजबाला पत्नी सुलतान सिंह जाति जाट सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली- प०न० 137/43(529) के किला न० 20/1 की 0.227 हैक्ट, 21/2 की 0.1778 हैक्ट कुल 0.4048 हैक्ट
2. अमरसिंह, हुकमाराम पि० भानीराम बहिब 2/3 हि०, हनुमान पुत्र भानीराम 16992/59052 हि० जाति जाट सा० देह खातेदार रहन बदस्तुर- प०न० 137/35(528) के किला न० 16 ता 20/2 व 22 ता 25 की 2.036 हैक्ट, 137/36(558) के किला न० 2 ता 9, 12/1 ता 15, 18 की 2.999 हैक्ट रा०- 0.050 हैक्ट, 137/43(529) के किला न० 21/2 की 0.492 हैक्ट, 137/44(557) के किला न० 1/1, 2/2, 9, 10/2 की 0.759 हैक्ट रा०-0.012 कुल 5.9052 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 29/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर